



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश
(लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन)

नियम पुस्तिका

संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी) के चयन के लिए
(ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा)

वर्ष (2020-2021)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश, संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी) के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

एनएचएम, म.प्र., संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी) के लगभग 51 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31, मार्च 2022 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:

१. संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी) पद का विवरण:

क्र	पद का नाम	पद का कोड	कुल सीटें	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाती (16%)		ओबीसी-(27%)*		रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित			
				ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	वी एच	एच एच
१.	जिला सलाहकार (सीपीएचसी)	डीसी-एनएचएम-एमपी	51	9	5	4	1	7	3	5	3	9	5	-	2	1	0

*ओबीसी आरक्षण (%) का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में विचाराधीन है और निर्णय ओबीसी और अनारक्षित श्रेणियों के आरक्षण प्रतिशत को तदनुसार प्रभावित कर सकता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत पदों में से माननीय न्यायालयीन प्रकरण व अतिरिक्त महाधिवक्ता के अभिमत के अनुसार 13 प्रतिशत पद सुरक्षित रखे गए हैं।

दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

निःशक्तजनो के लिए कुल रोकितियों में से 06 प्रतिशत दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का

निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उस श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के

बिना वर्ग/ ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।

संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी) के 07 पद जो न्यायालयीन निर्णय के उपरांत उस वर्ग के भर्ती प्रक्रिया में उपरोक्त विज्ञापन के पात्र उम्मीदवारों से पूर्ति की जाएगी।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा की तारीख और ऑनलाइन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया <http://www.nhmmp.gov.in/> या www.sams.co.in पर जाएं।

आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत 15/03/2021 को शाम ६:३० बजे से होगी।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15/04/2021 को रात ११:५९ बजे है।

२. शैक्षिक और अन्य पात्रताएँ:

२.१ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी.डी.एस/ बी.ए.एम.एस./ बी.एस.सी. तथा एम.पी.एच. / पीजी डिग्री या डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट परीक्षा उत्तीर्ण।

आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु बी.डी.एस./ बी.ए.एम.एस./ बी.एस.सी. तथा एम.पी.एच./ पीजी डिग्री या डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट परीक्षा की अंकसूची
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र।

3. *आयु सीमा: २१-४० वर्ष

* आयु गणना की संदर्भ तिथि: 01-01-2021

नोट: आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को **संदर्भ तिथि** के रूप में योग्यता, अनुभव और पंजीकरण के गणना के लिए लिया जाएगा।

अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक **C 3-8/ 2016/ 1/ 3** दिनांक जुलाई **04, 2019** द्वारा एवं समय-समय पर जारी संसोधन लागू समझे जायेंगे।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम ५ वर्ष की छूट दी जाएगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला, और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ४५ वर्ष की होगी, यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

स्पष्टीकरण: आयु की गणना के लिए १०वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/ मार्क शीट एक वैध/ संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

४. वेतन: चयन के बाद, उम्मीदवार को **संविदा जिला सलाहकार १/सीपीएचसी** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें मासिक मानदेय प्रति माह **₹-30,000/-** रुपये वेतन दिया जाएगा।

५. आरक्षण नियम:

५.१ मध्य प्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), ईडब्ल्यूएस, विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), और आयु में छूट केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी;

५.२ चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा / चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा या किसी भी उम्मीदवार के लिए या अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

५.३ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पद के लिए आवेदन करने से पहले पत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

- ५.४ उम्मीदवारों को परीक्षा से अयोग्य / निष्कासित कर दिया जाएगा, यदि वे परीक्षा में दुरुव्यवहार करते हैं और परीक्षा के दौरान शांति में बाधा खड़ी करने में शामिल होते हैं;
- ५.५ यदि उम्मीदवार फर्जी दस्तावेज प्रदान करते हैं या उनके दस्तावेज बदले/रूपांतरित/जाली हैं, या उन्होंने कोई ठोस जानकारी छिपाई है, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा;
- ५.६ यदि उम्मीदवार परीक्षा के लिए किसी अभिप्रेरक का उपयोग करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा;
- ५.७ कोई भी उम्मीदवार जिसके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला किया गया है या अदालत द्वारा दंडित किया गया है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा (पात्र नहीं होगा)।
६. **चयन प्रक्रिया:** परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यावहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए;
- ६.१ **संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी) के चयन के लिए, स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस) द्वारा एमसीक्यू (MCQ) आधारित (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा;**
- ६.२ उम्मीदवार को नियमों और चयन मानदंडों का अवलोकन करना चाहिए और पदों के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है, तो इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी, प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर अयोग्य हो जाएगी;
- ६.३ उम्मीदवारों को **15/04/2021** की **मध्यरात्रि ११:५९ बजे** तक या उससे पहले **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस)** के वेबसाइट पर उपलब्ध **ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएफ)** को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा;
- ६.४ उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है;
- ६.५ विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर **स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सैमस)** के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी;
- ६.६ परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ **१०० एमसीक्यू (MCQ)** प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न १ अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा

में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा;

- ६.७ ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे : **40% UR, 35 % for OBC and 30% for SC and ST** होंगे। मेरिट रैंक का परिमाण और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा;
- ६.८ उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में, **मिशन निदेशक, एनएचएम, म.प्र.** आवश्यक के रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी
- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी;
- (ii) एक ही जन्मतिथि/ उम्र के अभ्यर्थी होने पर, अनिवार्य संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी) के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता;
- ६.९ आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है;
- ६.१० आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया" है; आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;
- ६.११ एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाये बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए २-४ दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिए जाएंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी।
- ६.१२ उम्मीदवार अधिकतम १० स्थानों के लिए अपना स्थान वरीयता दे सकते हैं जो बाद के चरणों में लिया जाएगा। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।
- ६.१३ विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:
- (क) अंधापन और कम दृष्टि
- (ख) बहरा और सुनने में कठिनाई
- (ग) दिमागी लकवा, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और पेशी अपविकास सहित अस्थिविषयक दिव्यांगता
- (घ) स्वलीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, और मानसिक बीमारी।

(ड) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
(च) दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगता अधितम 50 प्रतिशत को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधिता विकलांगता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य;

६.१४ आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा;

६.१५ सुधार/ अवलोकन अवधि के बाद, जन्म तिथि, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा;

६.१६ उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केंद्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:

- (क) केंद्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केंद्र प्राथमिकताएं;
- (ख) प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, इसे पहला आवेदन पहला आवंटन (एफएएफए) के आधार पर किया जाएगा।

६.१७ ई-एडमिट कार्ड को www.sams.co.in एवं www.nhmmp.gov.in पर से परीक्षा तिथि के सात (७) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ **एस.ए.एम.एस.** एवं **एन.एच.एम., म.प्र.** की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी;

७. स्थान आवंटन:

७.१ मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा;

७.२ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि “मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि उपरोक्त, स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगा जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर, **एनएचएम, म.प्र.** के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम, म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

८. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:

(क) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों में संबंधित **मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ)** द्वारा किया जाएगा।

(ख) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण, आदि) भरते समय पूछे गए थे;

(ग) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार

आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं हैं, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

(ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

९. अन्य निर्देश और दिशानिर्देश:

९.१ चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

(क) १०वीं या माध्यमिक / उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुए पाठ्यक्रम की वार्षिक / सेमेस्टर वार मार्क शीट;

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो तस्वीरें;

(ग) मध्य प्रदेश के उप मंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र;

(घ) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र;

(ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से १५ दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए;

(च) **संविदा जिला सलाहकार ¼सीपीएचसी** के चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि;

(छ) उपरोक्त प्रमाणपत्र / दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/ **आंतरिक संविदा जिला सलाहकार (सीपीएचसी)** के लिए लागू होंगे;

(झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र कार्यग्रहण के समय पर लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाणपत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ञ) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केंद्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा

१०. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद, **संविदा जिला सलाहकार ¼सीपीएचसी** के रूप में नियुक्ति के बाद,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

११. चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** चयन के किसी भी समय नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा।
- **मिशन** आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है।
- **मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश** को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/ सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/ निरस्त करने का अधिकार होगा।

१२. परीक्षा केंद्र/ शहर: (१) भोपाल; (२) इंदौर; (३) ग्वालियर; (४) जबलपुर; (५) रीवा; (६) सागर; (७)

सतना

१३. परिभाषाएँ:

१३.१ "चयन परीक्षा" का अर्थ **संविदा जिला सलाहकार** १/४सीपीएचसी के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है;

१३.२ **आरक्षित श्रेणी का अर्थ:** पांच श्रेणियों से उम्मीदवार, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी); या **मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अनुसार।**

District Consultant (CPHC)**Roles and Responsibilities:**

- Work under the guidance and direction of State Nodal Officer and state CPHC Consultant to develop year wise road map, operational plan and financial proposals for setting up of HWCs in line with GoI guidelines.
- Facilitate development of financial proposals for operationalization of HWCs jointly with district officials for incorporation in the state's National Health Mission (NHM) Program Implementation plan (PIP).
- Provide technical assistance to district for identifying and operationalizing of HWCs.
- Provide technical support to the identified institute/ clinical sites for establishing program study centers to run the Certificate Course in Community Health (CCCH).
- Monitor quality of training in CCCH
- Lead the design, implementation and monitoring of all activities to ensure necessary technical input and coordination to achieve desired results.
- Coordinate and collaborate with other relevant program divisions and other stakeholders in district for planning and implementation of activities for operationalization/ functionality of HWCs.
- Develop and produce documents like gap analysis check list, action plan, procurement plans, reports for program update and review etc. as per the program need.
- Facilitate program review at district at regular intervals and suggest corrective actions.